न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारी:– चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं0 52/2017 प्रार्थना पत्र

प्रकरण सं0 101/2021 प्रार्थना पत्र
जीसीएमएस न0–2021/303

1. चतरभुज पिता वजेराम जी जाति धाकड उम्र 70 साल निवासी चरलिया ब्राह्मणान तह0 निम्बाहेडा राज0
2. मोहनलाल पिता वजेराम जी जाति धाकड उम्र 65 साल निवासी चरलिया ब्राह्मणान तह0 निम्बाहेडा राज0
3. बद्रीबाई पुत्री पिता वजेराम जी जाति धाकड उम्र 72 साल निवासी चरलिया ब्राह्मणान तह0 निम्बाहेडा राज0
4. गोरीलाल पिता स्व0हीरालाल जी जाति धाकड उम्र 40 साल निवासी चरलिया ब्राह्मणान तह0 निम्बाहेडा राज0 ....**प्रार्थीगण**

/बनाम/

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा राज0.............विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0ले0रे0एक्ट

//आदेश// दिनांक 31-5-22

उपस्थित:–प्रार्थीगण की और से:– अधिवक्ता श्री रामेश्वरलाल धाकड

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.ले.रे.एक्ट विपक्षी के विरूद्ध इस आशय का पेश किया कि मोजा चरलिया ब्राह्मणान प0ह0 बांगरेडा तह0निम्बाहेडा में पुराने आ0नं0 658/206 रकबा 15 बिस्वा स्थित हैं, जिसके नये सेटलमेन्ट अनुसार आ0नं0 377 रकबा 0.19 हेक्टेयर हैं। उपरौक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण के पिता की शामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त में चली आ रही हैं, जो कि साबिक आ0नं0 658/206 रकबा 15 बिस्वा हैं। उक्त आराजीयात की जमाबंदी संवत 2034 से 2037 में खातेदार के कॉलम में– हरलाल, कनीराम पिता नगजीराम, घासी पिता पोखर 1/3,हि.ब. गोपाल, हेमराज, <u>वजेराम</u>, भगवान पिता मेघा 1/3 हि.ब. नानुराम पिता मोती 1/3 धाकड सा.देह अंकित हैं। जबकि जमाबंदी संवत 2038 से 2041 में खातेदार के कॉलम में – हरलाल, कनीराम पिता नगजीराम, घासी पिता पोखर 1/3 हि.ब., गोपाल, हेमराज, <u>नरभेराम</u>, भगवान पिता मेघा, प्रतापबी बेवा भगवाना 1/3 हि.ब. नानुराम पिता मोती 1/3 धाकड सा.देह अंकित हो गया हैं। जबकि नरभेराम नाम का कोई व्यक्ति नहीं हैं, इसलिये नरभेराम के स्थान पर वजेराम शुद्ध किया जाना आवश्यक हैं। इसी प्रकार जमाबंदी संवत 2051 से 54 में खातेदार के

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

कॉलम में – हरलाल, कनीराम पिता नगजीराम, घासी पिता पोखर 1/3 हि.ब., गोपाल, हेमराज, निर्भेराम पिता मेघा, प्रताबी बेवा भगवाना 1/3 हि.ब. नानुराम पिता मोती 1/3 धाकड सा.देह अंकित हैं।जबकि निर्भेराम नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, इसलिये निर्भेराम के स्थान पर वजेराम शुद्ध किया जाना आवश्यक हैं। इस प्रकार से प्रार्थीगण सं0 1,2,3 के पिता का नाम निर्भयराम के बजाय वजेराम अंकित कर शुद्ध किया जाना आवश्यक है तथा प्रार्थी सं0 4 के पिता हीरालाल के पिता का नाम भी निर्भयराम के बजाय वजेराम अंकित कर शुद्ध किया जाना आवश्यक है जिससे प्रार्थी सं0 4 विरासत अनुसार खाते में अपना नाम दर्ज करा सके।प्रार्थी सं0 4 गोरीलाल के पिता श्री हीरालाल पिता वजेराम जी धाकड एवं प्रार्थी सं04 की माता धीसीबाई पत्नी हीरालाल की मृत्यु हो जाने के कारण प्रार्थी सं0 4 ही हीरालाल जी का एक मात्र वारिस हैं, इसलिये इस कार्यवाही में प्रार्थी सं0 4 को पक्षकार बनाया हैं।प्रार्थी ने पूर्व जमाबंदी अनुसार नवीन जमाबंदी में इन्द्राज दुरुस्त करने हेतू अपने स्तर पर कार्यवाही की परन्तु इन्द्राज दुरुस्त नहीं होने से यह आवेदन पेश करना पड रहा हैं। प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी बाद तामिल वक्त पेशी उपस्थित हुए।प्रार्थीगण ने मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतू प्रार्थना पत्र पेश किया जो स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को कमिश्नर नियुक्त कर जांच रिपोर्ट मगवाने हेतू आदेशित किया। जिसकी पालना में तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक गादोला एवं पटवारी हल्का बांगरेडा के द्वारा जांच रिपोर्ट बनाकर पेश करने हेतू आदेशित किया जिसकी पालना में पटवारी हल्का बांगरेडा व भू अभिलेख निरीक्षक गादोला द्वारा तहसीलदार निम्बाहेडा के समक्ष जांच रिपोर्ट बना कर प्रस्तुत की गई, जिसमें भू अभिलेख निरीक्षक तथा पटवारी हल्का द्वारा जमाबदी संवत 2034 से 2037, संवत 2038–41, संवत 2051–54 एवं नवीन रेकार्ड सेटलमेन्ट, मिलान क्षेत्रफल एवं वर्तमान जमाबंदी संवत 2077–80 में दर्ज इन्द्राज की सम्पूर्ण जॉच व अवलोकन किया जिनके अवलोकन के पश्चात् सारांश निकला कि निर्भयराम के बजाय वजेराम अंकित किया जाना उचित हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

हमने बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। प्रस्तुत दस्तावेजात नकल जमाबंदीया एवं खसरा गिरदावरी, मिलान क्षैत्रफल व पटवारी हल्का व भूअभिलेख निरीक्षक की जॉच रिपोर्ट का अवलोकन किया जाकर प्रार्थना पत्र में अंकित आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण चतरभुज, मोहनलाल, वद्रीबाई के पिता एवं गोरीलाल के पिता स्व0 हीरालाल के पिता का नाम निर्भयराम के स्थान पर सही नाम वजेराम अमल दरामद किया जाकर इन्द्राज दुरुस्त किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। इसी अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि वो उक्त आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में चतरभुज, हीरालाल,

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

मोहनलाल, बद्रीबाई के पिता का नाम निर्भयराम के स्थान पर सही नाम वजेराम अमल दरामद करें। । प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 31 .05.2022 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)